



प्रपत्र-5

मूल वाद में डिफ्री
 (आदेश 20 के नियम 6 और 7) **प्रशासन गावा के संग अभियान 2021**
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चूरु
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केमर कोर्ट) **चलकोई कडितोतान**

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल खैनी**

शिकायतकर्ता **विनोद केवल**
 नाम **राज्या-धान (एक) लिमिटेड**
 शिकायत **नाम डुरस्ती**

सूकचना नम्बर - **123/2021**

निर्णय दिनांक - **29.11.2021**

वादी की ओर से **संयुक्त** को व प्रतिकार के लिए **प्रो. राजेंद्र श्री राहुल खैनी**

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **29.11.2021** को (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, चूरु को निर्णय निपटारे के लिए पेश होने पर शिकायत किया जाता है और डिफ्री दी जाती है - **दावा वादी एवम्**
दिनांक कृषि इन्फो प्रो. ग्राम चलकोई कडितोतान के खाने से
120 घा इन्फो पीठाकेवल पुत्री इन्फो के स्थान पर विनोद केवल
पुत्री इन्फो सिद्ध दर्ज करने के इच्छा दिखाने हैं। एवम् इन्फो
उम्मानुसाए राजस्व रिकॉर्ड में डमल दाखल करें। नाम डुरस्ती के
सम्बन्ध में डिफ्री मुका का उत्पन्न होता है ता एवम् शिकायत की
शिकायत

29/11/21
(राहुल खैनी)

पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

क्र.सं.	वर्णन	प्रतिफल	रकम
1	वाद पत्र के लिए खर्च		
2	शक्ति पत्र के लिए खर्च		
3	अपील के लिए खर्च		
4	अपील के लिए खर्च		
5	अपील के लिए खर्च		
6	कमिश्नर की फीस		
7	अपील की फीस		
	कुल		

नोट नं० **1191**
29.11.2021

